भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *38

उत्तर देने की तारीख: 27.11.2024

जियो पारसी योजना

***38. श्री भर्तृहरि महताब:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पारसी समुदाय के लिए जियो पारसी योजना शुरू की है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार अन्य समुदायों के लिए भी ऐसी योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

'जियो पारसी योजना' के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *38 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय पारसियों (Zoroastrians) की जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1941 में 1,14,000 से घटकर 2011 में 57,264 रह गई है। जनसंख्या में गिरावट को रोकने और इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए, भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से सितंबर 2013 में जियो पारसी योजना तैयार की। इस योजना के तीन घटक हैं:

i. चिकित्सा सहायता - मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

ii. समुदाय का स्वास्थ्य - पारसी दम्पतियों को बच्चों की देखभाल तथा आश्रित वृद्धों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; तथा

iii. पक्ष समर्थन - विवाह योग्य आयु की युवा पीढ़ी और युवा दंपत्तियों के बीच जागरूकता पैदा करना, ताकि समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के प्रयास किए जा सकें और जहां आवश्यक हो, शीघ्र निदान और उपचार प्राप्त किया जा सके।

योजना के अंतर्गत सहायता, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अन्य सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को जारी की जा रही है। योजना के दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.minorityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(ख): वर्तमान में मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****